

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये


TEN  
RUPEES

₹ 10

Rs.10



DIA NON JUDICIAL



हरिद्वार UTARAKHAND

13AA 892400

शपथ अथवा प्रतिज्ञान का फार्म

[ भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 (क) ]

(राज्य के विधान मण्डल हेतु निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

मैं जय प्रकाश सुपुंडरी जो, विधान सभा

अथवा विधान परिषद में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा ।

जय प्रकाश सुपुंडरी  
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में नाम)

श्री / श्रीमती जय प्रकाश सुपुंडरी ने आज दिनांक.....(माह).....

2007 को.....(स्थान) पर


.....जब मैंने मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया ।

.....10 देवप्रसाद.....(निर्वाचन क्षेत्र का नाम) निर्वाचन क्षेत्र से.....2-त.1.1.4.3.....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्था द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र ।

मैं, ज्ञानप्रकाश देवप्रसाद पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री सुन्दर जी देवप्रसाद आयु.....37.....वर्ष, जो राजस्थान राज्य का / की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्था हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

1. कि मैं ऐसे किसी लखित मायलें में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं ।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी):



- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं.....2129-761.....
- (ii) पुलिस थाना (थाने).....2129-761.....जिला(जिले).....राजस्थान.....
- (iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्था आरोपित किया गया है.....
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे.....
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं.....

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951) (1951 का43) की धारा-8 की उप धारा (1)या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है ।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएँ.....2129-761.....
- (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....
- (iii) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिले).....राज्य.....
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्था कभी आरोपित किया गया है.....
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे.....
- (vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं.....

स्थान : नडीदेह  
तारीख : 12-1-12

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई सत्यिकी बात छिपाई नहीं गई है ।